संख्या : सीडीएन/80/2017-समन्वय

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 16 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बारे में जुलाई, 2018 माह के लिए मासिक सारांश रिपोर्ट

अधोहस्ताक्षरी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित जुलाई, 2018 के लिए हिन्दी में मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति, एतद्द्वारा, परिपत्रित करने का निदेश हुआ है । इसका अंग्रेजी संस्करण इस कार्यालय के दिनांक 9 अगस्त, 2018 के सम-संख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा पहले ही परिपत्रित किया जा चुका है ।

(के. सी. बेहरा)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23380547

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

वितरण : **मंत्री परिषद के सभी सदस्य ।**

प्रति (अनुलग्नक सहित) प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष, नीति आयोग
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव
3. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन
5. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग
6. प्रधान महा-निदेशक (एमएंडसी) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
7. भारत सरकार के सभी सचिव
8. मंत्री, महिला एवं बाल विकास के निजी सचिव / राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास के निजी सचिव
9. प्रैस सूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इसे मंत्रालय की वैब-साइट पर अपलोड कर दिया जाए ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बारे में जुलाई, 2018 माह के लिए मासिक सारांश रिपोर्ट

जुलाई 2018 को समाप्त होने वाले महीने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नानुसार हैं :

1. पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला :

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गुजरात एवं दादर एवं नागर हवेली राज्यों के लिए दिनांक 03.07.2018 को गांधी नगर, गुजरात में समग्र पोषण तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) हेतु पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) निमित्त प्रधान मंत्री व्यापक योजना के लिए एक दिवसीय कार्याशाला का आयोजन किया गया था । कार्यशाला के दौरान लगभग 500 अन्तर-विभागीय पदाधिकारियों को अभिविन्यस्त किया गया । गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री ने भी इस अवसर की शोभा बढ़ाई तथा गुजरात में पोषण अभियान शुरू किया ।

साथ ही, क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारियों के लिए महाराष्ट्र राज्य हेतु दिनांक 13.07.2018 को नागपुर में तथा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों के लिए दिनांक 23.07.2018 को गुवाहाटी में कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं ।

2. पोषण अभियान के तहत भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक

पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) के तहत भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 24.07.2018 को विज्ञान भवन में हुई । बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि सितम्बर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाए ।

3. राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र के महिला एवं बाल विकास के प्रभारी मंत्रियों का दिनांक 17.07.2018 को ली-मेरिडियन होटल, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन - के बारे में ।

मंत्रालय ने दिनांक 17.07.2018 को ली-मेरिडियन होटल, नई दिल्ली में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र के महिला एवं बाल विकास के प्रभारी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया । राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई । विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू सर्वोत्तम योजना / प्रथाओं को अन्य राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने के लिए शेयर किया गया ।

4. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन के लिए मंत्रिमंडल की बैठक ।

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन के लिए मंत्रिमंडल की दिनांक 18 जुलाई, 2018 को समिति कक्ष 1, संसदीय सौध, नई दिल्ली में बैठक हुई तथा मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव को पारित किया गया ।

मंत्रिमंडल की कार्यवाही (नियम 10) संबंधी नियमों एवं पद्धति का अनुसरण करते हुए मंत्रि परिषद के सदस्यों को अवगत कराने के लिए मंत्रालय के मासिक सारांश में शामिल करने की जाने वाली सूचना इस प्रकार है :

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन संबंधी नोट पर मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018 संबंधी प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने के लिए प्रधान सचिव, लोक सभा को दिनांक 31 जुलाई, 2018 को भेज दिया गया ।

यह विधेयक दिनांक 06.08.2018 को लोक सभा में पेश किया गया है । मंत्रिमंडल सचिवालय को की गई कार्रवाई के बारे में सूचना शीघ्र ही भेज दी जाएगी

5. **"बालकों की संरक्षा एवं सुरक्षा" पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला ।**

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने यूनिसैफ के सहयोग से राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के साथ "बालकों की संरक्षा एवं सुरक्षा" पर एक राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया । 25 राज्यों से अध्यक्ष, सदस्यों तथा सदस्य-सचिवों सहित लगभग 100 प्रतिभागियों ने इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में दिनांक 18, जुलाई 2018 को दिनभर चली कार्यशाला में भाग लिया ।

6. **दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक**

दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय समीक्षा बैठक दिनांक 30.07.2018 को प्रवासी भारतीय केन्द्र, नई दिल्ली में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने की तथा माननीय मंहिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया । राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया ।

7. **माननीय राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 4 आकांक्षी जिलों के साथ वीडियो कांफ्रैन्स**

माननीय राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आकांक्षी जिलों के अपने क्षेत्रीय दौरे के बाद जिला कलेक्टरों, प्रभारी अधिकारियों,राज्यों के नोडल अधिकारियों और संबंधित प्रधान सचिवों के साथ दिनांक 30 जुलाई, 2018 को मंत्रालय के सम्मेलन कक्ष में वीडियो कांफ्रैन्स की ।

8. **खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफएनबी)**

मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड ने आईसीडीएस के पूरक पोषण कार्यक्रम की प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग करने के लिए 368 आंगनवाडी केन्द्रों का निरीक्षण किया । इसके अलावा, पोषण के महत्व, पोषक संरक्षण, खाना पकाने के उचित तरीकों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शहरी स्लम्स, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में 252 पोषण शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

9. **न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन** :

- विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ परस्पर बातचीत और संवाद के लिए नियमित आधार पर वीडियो कांफ्रैन्स आयोजित की जा रही हैं ।
- मंत्रालय द्वारा पूर्ण ई-कार्यालय कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने में बचत हुई है; इसके अलावा, अधिकांशत: अंतर-मंत्रालयीय पत्र-व्यवहार ई-मेल के माध्यम से किया जा रहा है ।
- सभी नीतियां / कार्यक्रम / योजनाएं / अधिनियम / स्वीकृति आदेश आदि हितधारकों द्वारा आसानी से पहुंच के लिए पब्लिक डोमेन पर लोड किए जाते हैं ।

*****